

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 44 of 2022
EXECUTION APPLICATION 24 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

SAKET GIRLS PG COLLEGE

Through its Authorized Representative
Arvind Srivatsava, Trustee
Saket Girls PG College, Gaighat Road,
Dahilamau, Pratapgarh, Uttar Pradesh

.....Applicant

- VERSUS -

The Executive Officer

Nagar Palika Parishad,
Bella Pratapgarh, Uttar Pradesh
230001

....Respondent

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Status Report along with an affidavit on behalf of the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bella Pratapgarh in response to the Execution Application No. 24/2023 in Original Application No. 44/2022 filed by Saket Girls PG College, as Respondent No. 1.	1-7

2.	A true copy of the suspension letter is annexed here as ANNEXURE - 1.	8-9
3.	A true copy of the letter of the new officer appointed is annexed here as ANNEXURE - 2.	10
4.	A true copy of the treatment details is annexed here as ANNEXURE - 3.	11-16
5.	A true copy of the photographs is annexed here as ANNEXURE - 4.	17-28

THROUGH



PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
Counsel for EO, NAGAR PALIKA PARISHAD, BELLA PRATAPGARH
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: 25 .08.2024

**IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 44 of 2022
EXECUTION APPLICATION 24 OF 2023**

IN THE MATTER OF:

SAKET GIRLS PG COLLEGE

Through its Authorized Representative
Arvind Srivatsava, Trustee
Saket Girls PG College, Gaighat Road,
Dahilamau, Pratapgarh, Uttar Pradesh

.....Applicant

- VERSUS -

The Executive Officer

Nagar Palika Parishad,
Bella Pratapgarh, Uttar Pradesh
230001

....Respondent

Status Report along with an affidavit on behalf of the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bella Pratapgarh in response to the Execution Application No. 24/2023 in Original Application No. 44/2022 filed by Saket Girls PG College, as Respondent No. 1.

1. That the status report is being submitted in compliance with the order dated 01.07.2024, that the said area is the low-lying area wherein the applicant's college is having a problem with waterlogging. Therefore a detailed DPR

was prepared and a drain with a length of 920m was approved, with the cost, the tender was issued and completed and work allotment was done, as per the submissions given in the last Action Taken Report file by Respondent - 1, which stated to complete the work by 15th August 2024. Therefore, after a few days of hearing the Executive Officer was suspended. A true copy of the suspension letter is annexed here as **ANNEXURE - 1**.

2. Therefore it is respectfully submitted that unfortunately the ongoing project was hampered due to a lack of supervision of time as the office was vacant and the new joining was done after 20 days, on 19th July 2024.
3. Therefore it is respectfully submitted that after the diligent efforts of a new officer Executive Officer Mr. Rakesh Kumar has joined the office of Bella Pratapgarh on 19th July, 2024. A true copy of the letter of the new officer appointed is annexed here as **ANNEXURE - 2**.
4. That it is pertinent to mention here that M/s Jasoriya Builders is hereby directed to commence, without delay, the construction of covered drains in Belha-Pratapgarh, as per the tender approved by the Nagar Palika Parishad. The works include the construction of the Transformer on the main road to Saket Degree College and from Plaza Palace on Gaighat Road to New Basti Jankipuram. The allocated funds, part of the Rs. 4.99 crore sanctioned for the 'Sewerage and Drainage' scheme, are to be strictly utilised for the

designated works, following technical approval and compliance with all statutory, environmental, and financial regulations. The Executive Officer and the Administrator of the Nagar Palika Parishad shall oversee the strict adherence to these instructions, ensuring that the project is completed within the prescribed period and according to the outlined specifications.

5. That as a remedial action, the wastewater is being suctioned through the suction machine and taken to the nearby Bhuliyapur drain where the bioremediation is already been implemented. After this, the construction of 276 meters drains out of 920 meters which is about 30 percent of the entire work has been completed, GPS tag of the site for easy reference. The Bhuliyapur drain, located upstream of the Police Line drain and approximately 2.7 km from its tapping point, posed a challenge for direct sewage diversion to the STP due to elevation differences and lack of an intermediate pumping station. Consequently, a 2.5 MLD subsurface vertical upflow constructed wetland was developed downstream for onsite sewage treatment before discharge into the Sai River. This system, with a 17-hour sewage retention period, began trial operations in January. The wetland, designed by MNNIT Prayagraj, is expected to stabilize within six months, showing a reduction in key performance indicators as verified by UPPCB

and MNNIT. A true copy of the photographs is annexed here as **ANNEXURE - 4.**

6. That it is respectfully mentioned here that the construction work of the 920-meter drain is currently in progress by the Nagar Palika Parishad Belha-Pratapgarh. A wetland with a capacity of 2.5 MLD is located at the ending point of this drain, which is currently in trial and run status. Its distance from the ending point of the drain is approximately 368 meters, on which a separate detailed project for the construction of the drain has been prepared and sent to the government and it is expected that in the month of August itself, administrative and financial approval will be received from the government for the construction of the residual drain up to the wetland. That we will expedite the expense from the 15th financial commission budget or funds approved by the state.
7. It is respectfully submitted that the Nagar Palika Belha-Pratapgarh is fully committed to ensuring compliance with the directives of this Hon'ble Tribunal. It is further submitted that the circumstances prevailing over the past months have unfortunately led to an unavoidable delay in the completion of the work, which was originally scheduled to be finalized by August 2024. This delay is neither intentional nor willful. The construction

of the drain in question is now projected to be completed by November 2024.

8. That it is pertinent to mention here that upon completion of the drain, all the water will be directed to an operational wetland with a capacity of 2.5 MLD, where it will undergo treatment. This will effectively address and redress the primary grievance of the Applicant, as the water in question will be duly treated.

PRAYER

In view of the aforementioned facts and circumstances, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may graciously be pleased to:

1. To allow the Respondent, Nagar Palika Parishad, Belha-Pratapgarh, reasonable additional time until November 2024 for the completion of the construction of the 920-meter drain and associated works as outlined in the report, as the delay in work was not intentional or deliberate it was caused due to practical difficulty.

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
 PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
 ORIGINAL APPLICATION NO. 44 of 2022
 EXECUTION APPLICATION 24 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SAKET GIRLS PG COLLEGE

Through its Authorized Representative
 Arvind Srivatsava, Trustee
 Saket Girls PG College, Gaighat Road,
 Dahilamau, Pratapgarh, Uttar Pradesh

.....Applicant



- VERSUS -

The Executive Officer

Nagar Palika Parishad,
 Bella Pratapgarh, Uttar Pradesh
 230001

....Respondent

AFFIDAVIT

I, RAKESH KUMAR aged about 47 years

s/o Sh. L.T. LAKSHMI PRASAD is presently posted as

N.P.P BELHA PRATAPGARH having an office at BELHA PRATAPGARH

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Affidavit has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Affidavit are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed there

from.



DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 24 day of AUGUST 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



G.R. No.
Certified that Prakash Kumar
S/o Shri U. Lakshmi Prasad
Resident of E-2, Anand P. Prasad
Identified by K.B. Singh
On 24 August 8 Year 2024

DEPONENT

24.8.24

नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०,
सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

संख्या-2/602/125-11/589-अ०अ०नपाप-3/16 लखनऊ: दिनांक 29 जून, 2024

कार्यालय-आदेश

नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में स्थित एस०टी०पी० (सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट) एवं कन्स्ट्रक्टेड वेटलैण्ड का दिनांक 02.05.2024 को औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ उपस्थित नहीं थे और निरीक्षण में पाया गया कि वेटलैण्ड साइट पर ठोस अपशिष्ट को डम्प किया जा रहा है तथा उसमें अग्नि लगी है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के दिशा-निर्देशों के सर्वथा विपरीत है। इसप्रकार नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

2- इस संबंध में श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ को निदेशालय के पत्रांक-पी०ए०/437/नि०कैम्प/2024, दिनांक 08.05.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जिसके सम्बन्ध में श्री राम अचल कुरील द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर पत्र दिनांक 13-05-2024 द्वारा दिया गया, श्री कुरील का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया।

3- अतः श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा कार्यालय से अनुपस्थित रहने, वेट लैण्ड साइट पर ठोस अपशिष्ट को डम्प कराये जाने एवं उसमें अग्नि लगी होने तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से न करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स, 2016 एवं स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने एवं शासन के आदेशों की अवहेलना करने के कारण उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नियम-37(3) एवं उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राम अचल कुरील, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा (प्रतापगढ़) को एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुये विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है एवं विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री राम अचल कुरील कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से सम्बद्ध रहेंगे तथा उनके जीवन निर्वाह भत्ते आदि का भुगतान नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4- निलम्बन अवधि में श्री राम अचल कुरील को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि अर्ध औसत वेतन पर अथवा अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के साथ कोई मंहगाई भत्ते अथवा मंहगाई भत्ते का उपात्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी इस शर्त पर देय होंगे जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उक्त मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।




- 5- उपर्युक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि श्री राम अचल कुरील इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति, व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
- 6- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि जांच कार्यवाही शासनादेश संख्या-8/2022/725/सैंतालीस/का-1-2022/13(2)/2022, दिनांक 09.07.2021 के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

संख्या व दिनांक तदैव:-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 1- विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-4, लखनऊ।
- ई-मेल/पंजीकृत 2- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को उक्त आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री राम अचल कुरील (निलम्बित) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ को तामील कराकर कि सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- श्रीमती ऋतु सुहास, अपर निदेशक/जांच अधिकारी, नगर निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तदनुसार आरोप पत्र का गठन करके अनुमोदनोपरान्त जांच कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।
- 5- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़।
- 6- श्री राम अचल कुरील (निलम्बित) अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2, नगर पालिका परिषद, बेल्हा प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।


(डॉ० नितिन बंसल)
निदेशक।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या: 2102 / नौ-4-24-01ई0ओ0/2024
लखनऊ दिनांक: 18 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी सेवा के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 श्री राकेश कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर को जनहित में तात्कालिक प्रभाव से नगर पालिका परिषद, बेल्ला (प्रतापगढ़) में अधिशासी अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

2- श्री राकेश कुमार को अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु स्वतः कार्यमुक्त किया जाता है। श्री राकेश कुमार कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन/निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना अनुशासनहीनता मानी जायेगी, जिसके लिए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

धर्मेन्द्र प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-2102 / नौ-4-24-01ई0ओ0/2024 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को तामील कराते हुये शासन को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खतौली (मुजफ्फरनगर)/बेल्ला (प्रतापगढ़)।
5. संबंधित अधिशासी अधिकारी।
6. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

अज्ञा से,
18.07.24
अनु सचिव।

ई-ऑफिस पत्रावली संख्या- 9-5002(002)/77/2024
संख्या- 363 /2024/ नौ-5-2024 /001-Com.No.-1798624

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कोसीकला(मथुरा)/सोरो(कासगंज)/बेल्हा(प्रतापगढ़)/शाहाबाद(हरदोई)/जमनियां(गाजीपुर)।
- 2- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, जगनेर(आगरा)/सिद्धपुरा(कासगंज)/पुरदिलनगर(हाथरस)/लालगंज(प्रतापगढ़)/सिराथू(कौशाम्बी)/कुर्थाजाफरपुर(मऊ)/कोपागंज(मऊ)/चुनार(मिर्जापुर)/चिरैयाकोट(मऊ)/वलीदपुर(मऊ)/अदरी(मऊ)/बिशारतगंज(बरेली)/मनियर(बलिया)/हरिहरपुर(संतकबीरनगर)/कादीपुर(सुल्तानपुर)/मडियाहूँ(जौनपुर)/जंगीपुर(गाजीपुर)/रिठौरा(बरेली)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 23 नगरीय निकायों में जल निकासी कार्य हेतु कुल रूपये 4998.28 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रु० 2503.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ तीन लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र०स०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	आगरा	नगर पंचायत जगनेर	139.66	70.00
2	मथुरा	नगर पालिका परिषद, कोसीकला	152.14	76.00
3	कासगंज	नगर पालिका परिषद सोरो	190.21	95.00
4	कासगंज	नगर पंचायत सिद्धपुरा	200.91	100.00
5	हाथरस	नगर पंचायत पुरदिलनगर	193.55	96.00
6	प्रतापगढ़	नगर पालिका परिषद बेल्हा	499.50	250.00
7	प्रतापगढ़	नगर पंचायत लालगंज	159.13	80.00
8	कौशाम्बी	नगर पंचायत सिराथू	499.37	250.00
9	मऊ	नगर पंचायत कुर्थाजाफरपुर	198.00	100.00
10	मऊ	नगर पंचायत कोपागंज	127.08	64.00
11	मिर्जापुर	नगर पंचायत चुनार	198.70	100.00
12	मऊ	नगर पंचायत चिरैयाकोट	117.00	58.00
13	मऊ	नगर पंचायत वलीदपुर	117.00	58.00
14	मऊ	नगर पंचायत अदरी	182.46	92.00
15	हरदोई	नगर पालिका परिषद शाहाबाद	199.97	100.00
16	बरेली	नगर पंचायत बिशारतगंज	199.09	100.00
17	बलिया	नगर पंचायत मनियर	199.80	100.00

18	संतकबीरनगर	नगर पंचायत हरिहरपुर		
19	सुल्तानपुर	नगर पंचायत कादीपुर	498.73	250.00
20	जौनपुर	नगर पंचायत मड़ियाहूँ	156.47	78.00
21	गाजीपुर	नगर पालिका परिषद जमनियाँ	272.00	136.00
22	गाजीपुर	नगर पंचायत जंगीपुर	98.93	50.00
23	बरेली	नगर पंचायत रिठौरा	199.40	100.00
योग			199.18	100.00
			4998.28	2503.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।
- (10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,03,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-616-X-2023-24, दिनांक- 14 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
14.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 363(1) /2024/नौ-5-2024 /001-Com.No.-1798624, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाईल/कंप्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
14.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

जनपद-कासगंज	रोड से घेतन पीमेंट की दुकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 280			
	2- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंज रोड पर सुभाष रावसोना के मकान से सूर्यवंशी के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 280	19.31		
	3- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंजकुंडवारा चौराहे से आर0वी0 पेट्रोल पम्प तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 280	25.36		
	4- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंजकुंडवारा रोड पर साधू के खोखा से विजय पाल के मकान तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 450	41.22		
	5- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंजकुंडवारा रोड मोहनपुर तिराहे से गांधी इण्टर कॉलेज तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 400	36.23		
	6- नगर पंचायत सिद्धपुरा में किदवई नगर में रियाज मोहम्मद के प्लाट से डी0पी0एस0 की पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 280	23.55		
	7- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंज रोड पर जौनी शावक के मकान से मोहनपुर रोड तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 150	13.58		
	8- नगर पंचायत सिद्धपुरा में गंज रोड पर रघुवंशी के मकान से हनुमान मन्दिर तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। लम्बाई 150	18.11		
		योग	200.91	100.00
5	नगर पंचायत पुरदिलनगर, जनपद-हाथरस	1- नगर पंचायत पुरदिलनगर में अम्बेडकर तिराहे से सिकन्दराराऊ रोड पर एस0जी0आर0 इण्टर कॉलेज के सामने तक नाला निर्माण कार्य।	39.79	
		2- नगर पंचायत पुरदिलनगर में पुरदिलनगर-जलेसर रोड पर महीपाल की दुकान से सामुदायिक शौचालय तक नाला निर्माण कार्य।	26.04	
		3- नगर पंचायत पुरदिलनगर में जलेसर रोड पर राजभान सिंह की दुकान से सिहोरी मोड़ पुलिया तक नाला निर्माण कार्य।	39.26	
		4- नगर पंचायत पुरदिलनगर में जलेसर रोड पर नन्नु की दुकान से सोविंदर के घर तक नाला निर्माण कार्य।	9.50	
		5- नगर पंचायत पुरदिलनगर में खासपुर रोड से बदरुरालाम के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	39.59	
		6- नगर पंचायत पुरदिलनगर में ललतादेवी मंदिर से काशीराम के खेत तक नाला निर्माण कार्य।	39.37	
		योग	193.55	96.00
6	नगर पालिका परिषद बेल्ला, जनपद-प्रतापगढ़	1- मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफार्मर से साकेत डिग्री कॉलेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्लाजा पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	303.04	
		2- गाय घाट रोड पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	196.46	
		योग	499.50	250.00
7	नगर पंचायत लालगंज, जनपद-प्रतापगढ़	1- निकाय सीमान्तगत घुइसरनाथ रोड पर प्रवेश द्वार से छोटी नगर तक जलनिकासी का कार्य।	75.23	
		2- घुइसरनाथ रोड से कहारन के पुरवा से पाण्डेय के पुरवा तक जल निकासी कार्य।	83.90	
		योग	159.13	80.00
8	नगर पंचायत जनपद-कौशाम्बी	सिराथू हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग पर विद्युत खम्बा नं0-883/18 और 883/18 के मध्य रेलवे ग्रूमि में रेलवे लाइनों के नीचे से ट्रेन्सलेस विधि द्वारा ज़ेन अथवा पाइप लाइन सिधाकर आहदी तालाब में डालने आदि से संबंधित कार्य।	499.37	

कार्यालय नगर पालिका परिषद् बेल्ला-प्रतापगढ़।

पत्रांक-351 / न0पा0परि0-2024

दिनांक-13 जून, 2024

कार्यादेश

मेसर्स जसोरिया बिल्डर्स
नि0- 53 / ए भदरी हाउस, तहसील-सदर,
जनपद- प्रतापगढ़ उ0प्र0।

कार्य का नाम- गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।

राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत आपके द्वारा गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से प्रेषित दर अंकन-1,96,36,735/- रु0 (जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
गायघाट रोड़ पर प्लाजा पैलेस के सामने से नई बस्ती जानकीपुरम तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	1,96,36,735/- रु0	03 माह

अतएव उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यादेश प्राप्ति के तत्काल बाद अविलम्ब कार्य का अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए अवर अभियंता (सिविल) के पर्यवेक्षण में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा प्रारम्भ की सूचना को लिखित रूप में अवगत करायें।


विशेष:-

- कार्य की गुणवत्ता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाय। तथा टेस्ट रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय।
- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण न करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह प्रतिदिन 100/- रूपया की दर से अथवा अनुबन्ध पर उल्लिखित धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।



 अधिशाषी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद् बेल्ला-प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि-

- प्रशासक महोदय, न0पा0परि0 बेल्ला-प्रतापगढ़ की सेवा में उपरोक्तानुसार सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अवर अभियंता 'सिविल' न0पा0परि0 बेल्ला-प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कार्य आगणन में उल्लिखित मानक एवं विशिष्टियों अनुरूप अपनी देख-रेख में प्रारम्भ करायें तथा स्थल की फोटोग्राफ समय-समय पर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी से अवलोकित कराते हुए पत्रावली पर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।



O/c


 अधिशाषी अधिकारी
 नगर पालिका परिषद् बेल्ला-प्रतापगढ़।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् बेल्हा-प्रतापगढ़।

पत्रांक-352-न0पा0परि0-2024। नाला निर्माण। (जल निकासी योजना)

दिनांक-13 जून, 2024

कार्यादेश

मेसर्स जसोरिया बिल्डर्स

नि0- 53/ए भदरी हाउस, तहसील-सदर,

जनपद- प्रतापगढ़ उ0प्र0।

कार्य का नाम- मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।


राज्य सेक्टर के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत आपके द्वारा मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से प्रेषित दर अंकन-3,02,88,994/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासक महोदय द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी है।

कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
मुख्य मार्ग पर ट्रान्सफर्मर से साकेत डिग्री कालेज होते हुए मुख्य मार्ग पर प्रिमियम पैलेस के सामने तक कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	3,02,88,994/- रू0	03 माह

अतएव उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यादेश प्राप्ति के तत्काल बाद अविलम्ब कार्य का अनुबन्ध निष्पादित कराते हुए अवर अभियंता (सिविल) के पर्यवेक्षण में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें तथा प्रारम्भ की सूचना को लिखित रूप में अवगत करायें।

विशेष:-

- कार्य की गुणवत्ता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाय। तथा टेस्ट रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय।
- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण न करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह प्रतिदिन 100/- रूपया की दर से अथवा अनुबन्ध पर उल्लिखित धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।


अधिशिषी अधिकारी


नगर पालिका परिषद् बेल्हा-प्रतापगढ़।

प्रतिलिपि-

- प्रशासक महोदय, न0पा0परि0 बेल्हा-प्रतापगढ़ की सेवा में उपरोक्तानुसार सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अवर अभियंता 'सिविल' न0पा0परि0 बेल्हा-प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कार्य आगणन में उल्लिखित मानक एवं विशिष्टियों अनुरूप अपनी देख-रेख में प्रारम्भ करायें तथा स्थल की फोटोग्राफ समय-समय पर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी से अवलोकित कराते हुए पत्रावली पर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।


अधिशिषी अधिकारी

नगर पालिका परिषद् बेल्हा-प्रतापगढ़।



0/c

साकेत गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज के जलभराव स्थल से माह-जुलाई में पानी निकालने का कार्य





साकेत गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज के जलभराव स्थल से माह-अगस्त में पानी निकालने का कार्य







साकेत गर्ल्स पी0जी0 कॉलेज के परिसर में माह-अगस्त में अत्यधिक वर्षा से हुये जलजमाव को निकालने का कार्य













